न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2024 **दायर दिनांक 27.02.2024**

उनवान

साकीरा बी वगै.

अप्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

शेख शरीफ वगै.

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—
प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 :— श्री अहमद उल्ला खान
अप्रार्थी/वादीगण :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश **दिनांक 01.04.2025**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी इस आशय से पेश किया कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद माननीय न्यायालय में दायर किया है। जिसमें वादीगण उक्त सम्पत्ति के 1/4 हिस्से पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं, जो सम्पत्ति प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त में सनातनकाल से चली आ रही है। जिसको विधिवत् रूप से हस्तान्तरित किया जा चुका है, जो कि राजस्व रिकार्ड व मौजूदा स्थिति में दर्ज है। यह कि वादीगण द्वारा दायर वाद में ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें उन्हें राहत मिल सके। वादीगण ने अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों का दावा किया है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा केम्प सुनेल के समक्ष वादीगण की माता सकीरा बी पुत्री शेख रहीम ने प्रार्थना पत्र अपने हिस्से की आराजी का हक दिनांक 12.02.1983 को [illegible] दिया। जिसका नामान्तरण तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

265 द्वारा दर्ज किया गया। यह कि प्रतिवादीगण की दादी कल्लो बी बेवा शेख रहीम के इन्तेकाल के बाद गलती से तहसीलदार द्वारा फौती इन्तेकाल निर्णय दिनांक 20.01.2005 नामान्तरण संख्या 2162 खोला गया, जिसमें गलती से वादीगण की माता सकीरा बी पुत्री शेख रहीम का नाम दर्ज कर दिया गया। लेकिन इसके पश्चात् सुनेल में ग्राम पंचायत की फोरम की सर्वसम्मति से गलती से हुए नाम दर्ज को हटाया जाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसको तस्दीक करते हुए तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2005 नामान्तरण संख्या 2309 में सकीरा बी पुत्री शेख रहीम का नाम हटा दिया गया। इसके पश्चात् शेश जीवित दो बहने शंहीदन बी ने दिनांक 13.04.2015 और लतीफन बी ने दिनाक 07.08.2014 को अपना हक त्याग अपने भाई शेख शरीफ पुत्र शेख रहीम के पक्ष में कर दिया। जिसके बाद से ही सम्पूर्ण आराजी के स्वामित्व का अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है, जो चला आ रहा है। यह कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार वाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर दायर किया जाना चाहिये। वादीगण द्वारा दायर वाद जो कि पूर्णत समय–सीमाओ से बाहर है। यह परिसीमा अधिनियम 1965 की धारा 3 के तहत् विचारणीय नहीं है और खारिज करने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने के. सुब्बारायू नायडू बनाम शिवम्मा (2012) 7 एस.एस.सी. 738 में यह माना है कि समय सीमा से बाहर दायर वाद का विचारण नहीं किया जा सकता। यह कि उच्च न्यायालय ने ही अर्जुन बनाम श्री रामतु (1991) 3 एस.सी.सी. 128 में माना कि यदि वाद अनुचित तरीके से या अदालत की प्रक्रिया के दुरूपयोग के इरादे से दायर किया गया है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिये। इस मामले में वादीगण ने अपने माता के द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया है। जिससे वाद वादीगण द्वारा उक्त आराजी पर वाद दायर कर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने का प्रयास किया है। यह कि वादीगण का दावा इस तथ्य के विपरीत है कि पूर्व में पारित निर्णय और सरकारी रिकार्ड उनके खिलाफ है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया प्रार्थना पत्र व ग्राम पं[illegible] तहसीलदार के आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वादीगण की माता [illegible] अपने हक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

त्यागा और विधिक रूप से नामान्तकरण दर्ज कर नाम हटाया गया है। यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और तर्क इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके विपरीत तहसील और ग्राम पंचायत के रिकार्ड यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि वादीगण की माता ने स्वेच्छा से सम्पत्ति के अधिकारो का त्याग कर दिया। **प्रार्थना है कि–** अतः उपर्युक्त तथ्यो और विधिक प्रावधानों के आधार पर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी शेख शरीफ के प्रार्थना को स्वीकार करके वादीगण के वाद को सी.पी.सी. के आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में सादिर फरमावे।

2. अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार पेश है कि यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 अस्वीकार है क्योकि वादीगण की माता जी ने अपना हिस्सा हस्तांतरीत नहीं किया है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योकि साबीरा बी ने अपना हिस्से का दिनांक 12.02.1983 को किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश कर हिस्से का हकत्याग नहीं किया है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योकि वादीगण की माता साबीरा बी के नाम उनके जीवनकाल में बतौर वारिस विधिवत रुप से इन्तकाल खोला गया था। बाद में साबीरा बी की मृत्यु के बाद ग्राम पंचातय ने बिना किसी रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के नाम कम कर दिया है। जो गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी घोषणा के लिए वाद पेश करने की कोई समय–सीमा नहीं है और वादीगण का कानूनी हक समाप्त हुआ है इसलिए वादीगण को जानकारी होते ही माननीय न्यायालय में वाद पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अस्वीकार है क्योकि वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय में वाद पेश कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया गया है। विवादग्रस्त विषय–भूमि में ... तरीके से साबीरा बी की मृत्यु के बाद वादीगण का नाम चढ़ाने की बजाये फौती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

नामांतरण से साबीरा बी का नाम कम कर दिया गया है जो सीधे तोर पर वादीगण के कानूनी अधिकारो का हनन है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

3. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण की मां साबीरा बी ने अपनी अन्य बहिनों शहीदनबाई व लतीफन बाई के साथ अपने पिता शेख रहीम की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 1353 व 1601 में अपने हक व अधिकारों का त्याग उपखण्ड अधिकारी झालावाड एवं तहसीलदार पिडावा के समक्ष राजस्व शिविर केम्प सुनेल में दिनांक 11.02.1983 को कर दिया गया था और उसी हकत्याग के आधार पर खातेदार शेख रहीम पुत्र शेख कमरदीजी का फोती नामान्तरण सं. 265 दिनांक 12.02.1983 को उनके पुत्र शेखा शरीफ एवं बेवा कल्लोबाई के नाम निर्णित किया गया था और तभी से आज दिनांक तक प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। जब अप्रार्थीगण/वादीगण की मां साबीराबी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हक व अधिकारो का त्याग कर दिया गया और अपने जीवनकाल में कभी भी कोई वाद/परिवाद के संबंध में पेश नहीं किया गया। आगे तर्क किया कि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि में प्रतिनिधित्व का सिंद्धांत लागु नही होता है। अतः साबीराबी की 1996 में मृत्यु के बाद उनके वारीसान/अप्रार्थीगण के लिए वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई **कारण हेतुक उत्पन्न नहीं** होता है।

अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी की मां कल्लोबी की मृत्यु सन् 2002 मे हुई थी। कल्लोबी की मृत्यु से करीब 6 वर्ष पूर्व ही दिनांक 03.10.1996 को उनकी पुत्री साबिराबी पत्नि हबीबुरहमान फौत हो चुकी थी। मुस्लिम [illegible] अनुसार मुस्लिम धर्म में **प्रतिनिधित्व का सिंद्धांत लागु नही होता** है। [illegible] किसी मुस्लिम A की मृत्यु से पूर्व ही उसके किसी पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(7)

उस मुस्लिम A की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति में उसके पूर्व से मृतक पुत्र या पुत्री के वारिसान का कोई हक व अधिकार निहित नही होगा। प्रार्थी की माँ कल्लोबी के इन्तकाल के बाद फोती नामा.सं. 2162 दिनांक 20.01.2005 को तहसीलदार द्वारा मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के नियमों के विरूद्ध निर्णय करते हुए पूर्व से मृतक पुत्री साबिराबी का नाम एवं हकत्याग करने के बावजूद भी तीनो पुत्रियों का नाम दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त नामांतरण सं. 2162 प्रारंभ से ही मुस्लिम से ही विधि के प्रतिनिधित्व सिद्धांत के विरूध होने से प्रारंभ से ही अबैध एवं प्रभाव शून्य होने से खारिज योग्य था। इसके बाद मुस्लिम उत्तराधिकार विधि में प्रतिनिधित्व का सिंद्धांत लागु नही होने से ग्राम पंचायत सुनेल की कोरम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए नामा.सं. 2309 दिनांक 20.12.2005 से 6 वर्ष पूर्व मृतक खातेदार साबीराबी का नाम राजस्व खाते से कम करने का आदेश दिया गया जिसकी अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते है कि उनकी मां साबीराबी द्वारा अपने हकत्याग कर देने से कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा था। इसी प्रकार कल्लोबाई के फोती नामान्तरण दिनांक 20.01.2005 के निर्णित होने के बाद 19 वर्षो तक यानि वर्ष 2024 तक भी अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया जबकि अप्रार्थीगण बालिग व समझदार और सभी तथ्यों से परिचित थे। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार वाद पेश करने के लिए समय सीमा निर्धारित है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा 19 साल बाद वाद पेश किया है जो समय सीमा से बाहर होने के कारण विचारनीय नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद गंभीर लापरवाही करते हुए वाद पेश करने में की गई देरी को माफ करना न्यायहित में नहीं होकर अदालत की प्रकिया का दुरूपयोग है और प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः ऐसे [illegible] को मुस्लिम उत्तराधिकार की विधि एवं परीसीमा अधिनियम 1963 [illegible] दोनो से निषेध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

होने और हकत्याग करने से कोई कारण हेतुक उत्पन्न नही होने से इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में के. सुब्बाराम नायडू बनाम शिबम्मा (2012) 7 एस.एस.सी. 738 एवं अर्जुन बनाम श्रीरामतु (1991) 3 एस.एस.सी. 128, एवं रईसउद्दीन बनाम फातिमा व अन्य न्यायिक दृष्टांत तथा मुस्लिम उत्तराधिकार की विधि की प्रति पेश किये गये।

5. अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादी की मां साबीराबी ने वादग्रस्त आराजी में अपने हको का अपने जीवनकाल में कभी भी कोई हकत्याग नहीं किया था और न ही किसी राजस्व शिविर में उपस्थित होकर कोई हकत्याग का प्रार्थना पत्र पेश किया था। ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा अप्रार्थीगण की मां साबीराबी का फोती नामा.सं. 2309 तस्दीक करते समय बिना किसी आधार और आदेश के साबीराबी का नाम खाते से कम कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत को किसी खातेदार का नाम कम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार नामा.सं. 865 दिनांक 12.02.1983 तस्दीक करते समय तहसीलदार पिडावा द्वारा अप्रमाणित व अपंजीकृत हकत्याग के आधार पर तीनो पुत्रियों के नाम हटा दिये गए जबकि नामान्तर पंजिका पर अंकित शजरे में साबीराबी का नाम अंकित है। अतः उपरोक्त तीनो नामान्तरण प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने से खारीज किये जाने योग्य है और इसलिए प्रकरण में स्पष्ट कारण हेतुक उत्पन्न होता है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि अप्रार्थीगण की मां साबीराबी अनपढ किसान थी उन्हे कानून का ज्ञान नही होने से अपील पेश नहीं की गई। खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रारम्भ से शून्य एवं अवैध अन्तरण के विरूद्ध कभी भी वाद दायर किया जा सकता है। ऐसे अंतरणों पर परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होते है। आगे तर्क किया कि मुस्लिम विधि में प्रतिनिधित्व का सिंद्धांत लागू होता है और साबीराबी की संम्पति से उसके वारिसान को वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय की प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण को प्राथमिक स्तर पर खारिज नही किया जाकर यथासंभव तनकियात कायम कर साक्ष्य लिया जाकर गुणावगुण पर निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की मां साबीरा बी के हक व अधिकार तक खारीज फरमाया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में वादपत्र, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आ.7 नि.11, जवाब प्रार्थनापत्र एवं साथ में पेश न्यायिक दृष्टांतो व दस्तावेजो का ससमानपूर्वक अवलोकन किया गया। **वाद पत्र के मद सं. 1 के कथन अनुसार** जाहिर होता है कि संवत् 2061—64 में ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1424 रकबा 2—15 बीघा, ख.नं. 1432 रकबा 0—04 बीघा , ख.नं. 1433 रकबा 2—12 बीघा व ख.नं. 1510 रकबा 5—06 बीघा कुल किता 4 रकबा 10—17 बीघा सं. शेख शरीफ पि. शेख रहीम हि. 1/2 व कल्लोबाई बेवा शेख रहीम हि. 1/2 के खाते दर्ज रिकार्ड थी। वाद पत्र के मद सं. 2 से 5 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के नानाजी/दादाजी शेख रहीम के खाते दर्ज थी। शेख रहीम के एक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 शेख शरीफ, तीन पुत्रियां शकीराबी, सईदनबी व लतीफनबी एवं बेवा कल्लोबी वारीसान थे। **वादपत्र के कथनो अनुसार** शेख शरीफ की भूमि में साबीराबी का 1/4 हिस्सा निहित था लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कार्मिको के साथ मिलकर खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर षडयंत्र रचकर हकत्याग करा लिया गया। उभयपक्ष बहस के दौरान इस तथ्य पर निर्विवादित है कि खातेदार कल्लोबी बेवा शेख रहीम की मृत्यु सन् 2002 में हुई थी जबकि उनकी एक पुत्री साबीराबी पत्नि हबीबुरहमान की मृत्यु करीब 6 वर्ष पूर्व सन् 1996 में हो गयी थी। नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दर्ज नामान्तरण संख्या 2162, ग्राम पंचायत सुनेल द्वारा दर्ज नामान्तरण संख्या 2309 एवं ग्राम पंचायत सुनेल के प्रमाण पत्र दिनांक 04.02.2025 से भी दोनो की मृत्यु के वर्ष सांबित होती है। अतः यह तथ्य निर्विवादित है कि साबीराबी की मृत्यु अपनी मॉ [illegible] पूर्व हो चुकी थी अर्थात कल्लोबी की मृत्यू के [illegible] जीवित नही[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

7. प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; (e) where it is not filed in duplicate; (f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

8. यहाँ मूल प्रश्न यह है कि क्या वादीगण का वाद उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि एवं परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है या नही। यह सुस्थापित कानूनी तथ्य है कि भारत में मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार में प्रतिनिधि का सिद्धांत (**doctrine of representation**) लागू नही होता है। केवल हिन्दु, जैन, बौद्ध आदि में उत्तराधिकार में प्रतिनिधित्व का सिंद्धांत लागू होता है। मृत मुस्लिम व्यक्ति की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उस समय जीवित वारिस को हस्तांतरित हो जाती है। संपत्ति का हस्तातंरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक वारिस को तत्काल उस अनुपात में हो जाता है जैसा कि मुस्लिम कानून में प्रावधान किया गया है। चुँकि प्रत्येक वारिस का हित पृथक व भिन्न होता है, एक वारिस को अन्यों के प्रतिनिधि के तौर पर नही देखा जाता है और इसलिए यदि एक मुस्लिम व्यक्ति का बेटा/बेटी उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए ही मर जाता है तो उस मृत व्यक्ति का बेटा या बेटी अर्थात जीवित व्यक्ति का पौता/पौती या नाती/नातिन अपने पिता या माता की हिस्सेदारी के लिए प्रतिनिधित्व नही करता है। मुस्लिम कानून अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर किसी संभावित हित "सभांव्य उत्तराधिकार" **(Spessuccessions)** को मान्यता प्रदान नही करता है।

सर दिनशा मुल्ला की उत्तराधिकार की मोहम्मडन विधि की धारा 41 के अनुसार मुस्लिम समाज में उत्तराधिकार में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत लागू नही होता है। वाद पत्र के मद क. 3 व 4 में वादीगण/अप्रार्थीगण ने नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक कल्लोबी के फोती नामा.सं. 2162 दिनांक 20.01.2005 से दर्ज हुए अपनी माँ साबीराबी के 1/4 हिस्से को पुश्तैनी आराजी मानकर उनके कानूनी वारीसान के तौर पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई हैं जबकि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट** 1937 में एक मुस्लिम की सभी सम्पतियां चाहे वह विरासत में प्राप्त हुई हो– उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति **(Absolute property with full powers of alienation)** मानी जाती है। मुस्लिम विधि में स्वअर्जित सम्पत्ति एवं पैतृक सम्पत्ति में कोई भेद नहीं होता है। पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा केवल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने वाद पत्र के मद क. 5 में अंकित किया है कि कल्लोबी के फोती इन्तकाल के बाद साबीराबी का नाम 1/4 हिस्से पर दर्ज हुआ था जिसे प्रशासन गांव के संग अभियान 2005 में प्रार्थी द्वारा नियत में खोट आने से ग्राम पंचायत को साबीराबी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर नाम निरस्त करवा दिया था जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि कल्लोबी के फोत होने से कई वर्ष पूर्व ही पुत्री साबीराबी के फोत होने से मुस्लिम [illegible] उसके वारीसानो का कोई हक व अधिकार निहित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

रूप से नाम डिलीट किया गया था। यदि अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज नामा.सं. 2309 दिनांक 20.12.2005 से कोई आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में जाकर नियम समय अवधि में अपील पेश की जानी चाहिए थी लेकिन कोई अपील पेश नहीं की गई। अपील पेश करने बजाय अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा सीपीसी के प्रावधानो के विरूद्ध खातेदारी की अधिकारो का घोषणा का वाद पेश किया गया है। जब किसी प्रकरण में कानूनी रूप से अपील की रेमिडी उपलब्ध थी तो घोषणात्मक वाद पोषनीय नहीं है। अतः वाद पत्र के मद क. 2, 3, 4 व 5 मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है।

9. मुस्लिम विधि में ना तो पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा है और ना ही जन्म से कोई अधिकार निहित होता है। मुस्लिम पितमा के जीवनकाल में उनके वारिसानों का उनकी सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उत्तराधिकारी सम्बन्धी हनफी मुस्लिम विधी के नियम 215 व 216 के अनुसार उत्तराधिकार तब प्रारम्भ होता है, जब मुस्लिम व्यक्ति फौत हो जाता है। जिस क्षण मुस्लिम व्यक्ति मृत होता है, ठीक उसी क्षण उसके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार सम्बन्धी प्राधिकार उस मृत मुस्लिम व्यक्ति की सम्पदा में जीवित हो जाता है अर्थात मृत मुस्लिम का उत्तराधिकारी मृत व्यक्ति की सम्पदा में अधिकार युक्त हो जाता है और मृतक व्यक्ति की सम्पदा में हित की प्राप्ति के लिए अधिकृत हो जाता है। हनफी मुस्लिम विधी के अनुसार उत्तराधिकार या विरासत केवल पिता से प्राप्त होती है, दादा से पौते–पौतियो पर सम्पति में उत्तराधिकार उत्पन्न नहीं होते है। **मुस्लिम विधि में वारिसान को पिता की सम्पत्ति में विरासत के अधिकार तभी प्राप्त होगें तब पिता की मृत्यु के बाद ही वे वारिसान जीवित (survived) हो।** इस सम्बन्ध में मुल्लाज मॉहम्मडन लॉ के 23वें एडिषन का अंकन निम्नानुसार है :– **"52. <u>Birth-right not recognized</u> :- The right of an hier-apparent or presumptive comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor.

10. यहां दूसरा मूल प्रश्न यह है कि क्या वादीगण का वाद परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों से वर्जित है? वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की माता साबीराबी का नाम ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा जरिये फौती नामा सं. 2039 दिनांक 20.12.2005 को हटाया गया था जबकि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद दिनांक 27.02.2024 को पेश किया गया था। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद नामान्तरण के निर्णित होने से करीब 18 साल बाद पेश किया गया है। 18 वर्षों की देरी के संबंध में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र के मद सं. 6 में अंकित किया गया है कि वादी सं. 1 आशीयाबी के पति अब्दुल हफीज हल्का पटवारी सुनेल के पास दिनांक 25.01.2024 को सन 2005 में खोले गए इन्तकाल की नकल लेने गए तब ज्ञात हुआ कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2005 में साबीराबी का नाम खाते से कम कर दिया गया अर्थात दिनांक 25.01.2024 को हस्तगत प्रकरण का वाद हेतुक उत्पन्न होने से वाद पत्र समय सीमा में पेश किया हुआ माना जावे जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण द्वारा सभी तथ्यों का ज्ञान होने के बावजूद भी बिना कोई उचित एवं वैध कारण बताये 18 वर्षो के बाद वाद पेश किया है जो परिसीमा अधिनियम से वर्जित है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के **शयूडूल तृतीय के कम सं.** 5 के अवलोकन से जाहिर है कि धारा 88 खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद में वाद दायर करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अतः धारा 88 काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश करने की कोई समय सीमा नहीं है और इसलिए हस्तगत वाद परिसीमा अधिनियम से वर्जित नहीं है।

11. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उल्लेख प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

"While filing an application under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected".

12. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation so that further judicial time is not wasted".

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in court, the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised".

14. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dr. L. Ramachandran vs K. Ramesh में दिनांक 07.09.2015 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object)/क्षेत्र (Scope) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है, जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The scope of Rule 11 of Order 7 CPC has been explained in various decisions and the legal principle deducible are that, if the Plaint does not disclose the cause of action or is barred by law; can be rejected where the litigation was utterly vexatious and abuse of process of Court ; if any one of the conditions mentioned under the Rule were found to exist, thus saving the defendants onerous and hazardous task of contesting a non-maintainable suit during the course of protracted litigation and where the suit was instituted without proper authority. Thus, the provision of Order 7 Rule 11 CPC being procedural is designed and aimed to prevent vexatious and frivolous litigation. The plaint is liable to be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law and the law within the meaning of clause (d) of Order 7 Rule 11 CPC, shall include law of limitation as well".

15. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The remedy under Order VII Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the threshold, without proceeding to record evidence, and conducting a trial, on the basis of the evidence adduced, if it is satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13".

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 0[illegible].2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The provision of Order VII Rule 11 is mandatory in nature. It states that the plaint "shall" be rejected if any of the grounds specified in clause (a) to (e) are made out. If the Court finds that the plaint does not disclose a cause of action, or that the suit is barred by any law, the Court has no option, but to reject the plaint".

18. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The learned Munsif must remember that if on a meaningfulnot formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4993/2012 उनवान Ponnala Lakshmaiah vs Kommuri Pratap Reddy में दिनांक 06.07.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The Courts need to be cautious in dealing with requests for dismissal of the petitions at the threshold and exercise their powers of dismissal only in cases where even on a plain reading of the petition no cause of action is disclosed".

20. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Hindustan Petroleum Corporation Ltd Vs. C.M. Hari Raj and other में दिनांक 28.01.2002 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"Furthermore, Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code provides only limited ground for rejection of the plaint and I am of the view that the court below has come to the conclusion as if there is no cause of action for the plaintiff to file the suit and ultimately rejected the same as well as rejected the petition. The question whether there is any cause of action or not can be ultimately decided only after issue of notice to the other side and the Court cannot act as a spokesman of the defendants".

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

21. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of powar) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of powar) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13".

22. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Mani Alias Nagamani vs P. Ramakrishnan में दिनांक 31.01.2018 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of powar) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The power under Article 227 of the Constitution of India is extraordinary discretionary power which can be exercised to strike off the proceedings, which is frivolous, vexatious or fraudulent at the initial stage itself. The power to strike off the plaint can be

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

exercised even if the defendant did not file an application to reject the plaint under Order VII Rule 11 C.P.C. The scope of power under Article 227 of the Constitution of India is to prevent waste of time of Court as well as to prevent hardship and harassment to the other side".

23. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Sanjay Kaushish vs D.C. Kaushish And Others में दिनांक 10.09.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"while deciding the application under Order VII, Rule I I of the Code of Civil Procedure the Court can look to the documents referred to in the plaint".

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3038/2008 उनवान Kamala & Ors vs K.T. Eshwara Sa & Ors में दिनांक 29.04.2008 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"15. Order VII, Rule 11(d) of the Code has limited application. It must be shown that the suit is barred under any law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. Different clauses in Order VII, Rule 11, in our opinion, should not be mixed up. Whereas in a given case, an application for rejection of the plaint may be filed on more than one ground specified in various subclauses thereof, a clear finding to that effect must be arrived at. What would be relevant for invoking clause (d) of Order VII, Rule 11 of the Code is the averments made in the plaint. For that purpose, there cannot be any addition or

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

subtraction. Absence of jurisdiction on the part of a court can be invoked at different stages and under different provisions of the Code. Order VII, Rule 11 of the Code is one, Order XIV, Rule 2 is another".

"16. For the purpose of invoking Order VII, Rule 11(d) of the Code, no amount of evidence can be looked into. The issues on merit of the matter which may arise between the parties would not be within the realm of the court at that stage. All issues shall not be the subject matter of an order under the said provision".

25. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed. Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is not whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed. In Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.5 the Court further held that it is not permissible to cull

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words".

26. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8518/2002 उनवान Saleem Bhai And Ors vs State Of Maharashtra And Ors में दिनांक 17.12.2002 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"A perusal of Order VII Rule 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power under Order VII Rule 11 C.P.C. at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Rule 11 of Order VII C.P.C. the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under Order VII Rule 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial court".

27. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"If on a meaningful reading of the plaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra. A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted".

28. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

"There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair- splitting technicalities".

29. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान K. L. R. Niranjan vs L. Leelakrishnan में दिनांक 12.04.2018 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The 1st respondent has paid proper court fee for the relief sought for when he originally filed the suit. Plaint cannot be rejected in partly. Either it must be rejected in entirety or application for rejection of plaint must be dismissed. In the present case, the petitioners are seeking rejection of plaint for nonpayment of court fee for the relief included by amendment. For such non payment the plaint cannot be rejected in entirety."

30. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला प्रतापगढ़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत वाद पत्र के विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक हैं। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ग्राम सुनेल की अपने नाना मृतक शेख रहीम की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 991 के ख.नं. 1424 रकबा 2–15 बीघा, ख. नं. 1432 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 1433 रकबा 2–12 बीघा व ख.नं. 1510 रकबा 5–06 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 10–17 बीघा में पैतृक सम्पत्ति के आधार पर अपनी माता साबीराबी का जन्म से 1/4 हिस्सा निहित होने के आधार पर साबीराबी के कानूनन वारीसान के रूप में 1/4 हिस्से पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर खाता विभाजन कराकर पृथक–पृथक दर्ज कराने का अनुतोष चाहते है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद क्र. 2, 3, 4 में वादग्रस्त आराजियात को सनातनी पुश्तैनी आराजियात बताकर मृतक शेख रहीम की सम्पत्ति में नाम दर्ज होने से वंचित पुत्री कल्लोबी का जन्म के आधार पर 1/4 हिस्से पर खातेदारी अधिकार निहित होने का अंकन है। उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि के आधार पर पैतृक सम्पत्ति की कोई अवधारणा नहीं होती है और प्रतिनिधित्व सिद्धान्त की अवधारणा भी लागू नहीं होती है। वादग्रस्त आराजी को शेख रहीम या कल्लोबी की स्वअर्जित सम्पत्ति ही माना जावेगा। यह सही है कि कल्लोबी के फोत होने के करीब 6 वर्ष पूर्व ही पुत्री साबीराबी फोत हो चुकी थी अर्थात कल्लोबी की मृत्यु के समय साबीराबी जीवित नही थी। केवल पुत्र शेख शरीफ/प्रार्थी क्रम सं. 1, दो पुत्रियॉं प्रतिवादी सं. 2 व 3 ही जीवित थी। अतः मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार मृतक कल्लोबी की सम्पत्ति मे केवल जीवित पुत्र शेख शरीफ व दोनो जीवित पुत्रियों शहीदन बी व लतीफनबी का ही हक व अधिकार निहित था। प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नही होने से कल्लोबी की पूर्व से मृतक पुत्री साबीराबी के वारीसान/वादीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं थी।

मुस्लिम विधि मे रिप्रिजेन्टेषन का सिद्धान्त :– विरासत एवं उत्तराधिकार के मुस्लिम विधि मे रिप्रिजेन्टेषन के सि[illegible] नहीं होता है। यदि किसी मुस्लिम पिता के [illegible] में या उन[illegible] मृत्यु के वक्त

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible]

उनका कोई पुत्र या पुत्री जीवित नहीं है तो उस मृत पुत्र या पुत्री या उनके वारिसानों को सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा **(That means the heirs of the predeceased son or daughter cannot claim a share.)** अतः वादीगण का वाद उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि यानि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 से वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी के अधीन कवर होता है।

मुस्लिम विधि में वारिसान को पिता की सम्पत्ति में विरासत के अधिकार तभी प्राप्त होगें तब पिता की मृत्यु के बाद ही वे वारिसान जीवित (survived) हो। इस सम्बन्ध में मुल्लाज मॉहम्मडन लॉ के 23वें एडिषन का अंकन निम्नानुसार है :– **"52. Birth-right not recognized** :- The right of an hier-apparent or presumptive comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor.

31. रईसउद्दीन बनाम फातिमा व अन्य 2020 मामले में दिल्ली जिला न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "a. The property which is left after death of a muslim is heritable and can be movable or CS 76456/15 Rahisuddin Vs. Fatima & ors 6/24 immovable and ancestral or self acquired. Inheritance opens only after death of a Muslim and no person can be an heir of a living person. **Muslim law does not recognize doctrine of representation** and as such nearer heirs excludes the remoter heirs from inheritance. The distribution of assets is per-capita under Sunni law which means an heir does not represent branch from which he inherits. Muslim law recognizes two types of heirs which are sharers and residuary. Sharers are

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

entitled to certain share in the deceased's property and 12 in numbers. Residuary takes up share in the property which is left over after shares are taken by sharers. Residuary takes entire estate in absence of sharers and in absence of both sharers and residuary the estate devolves on distant kindred. The properties of a Muslim after his death devolve on his heirs in definite share and each heir becomes an absolute owner".

32 **मुलचन्द बनाम फय्याज अली 2017** मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ". The provisions of section 41, no doubt show that the persons governed by the Mohammedan law while inheriting the property take as tenants in comman and not as joint tenants and **doctrine of representation is not applicable to them,** nonetheless such persons acquire interest to the extent of their respective shares in each part and item of the property and, therefore, the submissions made by the counsel for the petitioners seeking to distinguish the law laid down in the case of Om prakash (supra) based on the fact that the respondend is governed by the Mohammedan law is not of any avail in the present case."

33. इस क्रम में सुन्नी मुस्लिम विधी के सुसंगत प्रावधान निम्न प्रकार है– नियम 216 (5) उत्तराधिकार [illegible] सम्पति– [illegible] के अन्तर्गत उत्तराधिकार बावत् पैतृक सम्पति [illegible] कोई प्रभेद नहीं किया गया है। दोनों [illegible] में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्त् किया जाता है, फिर भी सम्पति के स्वामी को व्यापक अधिकार प्राप्त है।

नियम 216 (1) उत्तराधिकार का प्रारम्भ होता है– उत्तराधिकार तब प्रारम्भ होता है जब मुस्लिम व्यक्ति फौत हो जाता है। जिस क्षण मुस्लिम व्यक्ति मृत होता ठीक उसी क्षण उसके उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार सम्बन्धी प्राधिकार उस मृत मुस्लिम व्यक्ति की सम्पदा में जीवित हो जाता है अर्थात मृत मुस्लिम का उत्तराधिकारी मृत व्यक्ति की सम्पदा में अधिकार युक्त हो जाता है और मृतक व्यक्ति की सम्पदा में हित की प्राप्ति के लिए अधिकृत हो जाता है।

34. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1982 एआईआर पटना 89 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 5. "The question is whether a Muslim son can be said to be a raiyat during the lifetime of his father, for becoming a land-holder within the meaning of Section 2 (g) of the Act. For becoming a raiyat the person concerned must have a right to hold the land for the purposes of cultivation. Unlike Hindu Law, estate of a deceased Mohamedan if he has died intestate, devolves on his heirs at the moment of his death. Under the Mohamedan Law, birth right is not recognised. The right of an heir apparent or presumptive comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he, survived the ancestor. In the case of Hasan Ali v. Nazo, (1889) ILR 11 All 456, it was held that the "Mohamedan Law does not recognise any ..... interest expectant on the death of another, and till that death occurs which by force of that law gives birth to the right as heir to the person entitled to it according to the rules of succession, he possesses no right at all." Unlike this, in Hindu Law a joint Hindu family consists of all persons lineally descended from a common ancestor, and

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिंघाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

includes their wives and unmarried daughters. A Hindu coparcenery is a much narrower body than the joint family. It includes only those persons who acquire by birth an interest in the joint or coparcenery property. These are the sons, grandsons and great-grandsons of the holder of the joint property for the time being, in other words, the three generations next to the holder in unbroken male descent. The essence of a coparcenery under the Mitakshara law is a unity of ownership. The ownership of the coparcenery property is in the whole body of coparceners. The interest of a coparcenery is fluctuating one and is capable of being enlarged or diminished in the event of deaths or births in the family as the case may be. It is only on partition that he becomes entitled to a definite share. Until a partition takes place the rights of each coparcener consist in a common possession and common enjoyment of the coparcenery property. The coparcenery property is held in collective ownership by all the coparceners in a quasi-corporate capacity."

35. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"11. Order 7 Rule 11(d) has limited application. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

provision, no amount of evidence can be looked into".

36. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well".

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460/2000 उनवान Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association में दिनांक 29.08. 2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"Clause (d) of Order VII Rule 7 speaks of suit, as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 CPC. Clause (d) of Rule 11 of Order VII applies in those cases only where the statement made by the plaintiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force".

38. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766/2001 उनवान Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Va[illegible]ta and Others, में दिनांक 11.07.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल [illegible] संहिता–1908 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(31)

आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रारंभिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.

39. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद **मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 एवं उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि (प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं)** से वर्जित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 (डी) के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी में होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया है। यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/2025

(विनोद कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner